

लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

73 / 2019


तारीखरजु: 24-10-19

उनवान:- किरोडी बनाम रोकेश वगै0


प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212


फर्द अहकाम

प्रार्थी की और से श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 31.10.2019 को पेश हो।


उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

1. वादी एवं वादी ककील उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC कावत मुकदमा विडो करने पेश किया कि पक्षकारम के मध्य राजीनामा हो गया है कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। मुकदमा विडो करने की इजाजत फरमाई जावे। वादी एवं वादी ककील को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 CPC स्वीकार किया जाता है मुकदमा विडो करने की इजाजत दी जाती है तथा मुकदमा खारिज किया जाता है। पत्रावली फेस्तुत शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिजल दफतर हो।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)



31/10/19

Pranabhat

